आईएएस शिखर अग्रवाल पर एसीबी का शिकंजा

बाजार मूल्य से कम कीमत पर संपत्तियां खरीदने का मामला

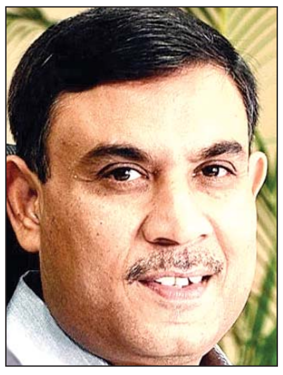

आईएएस शिखर अग्रवाल

- आरोप है कि उन्होंने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों से मिलीभगत कर कंपनी को रिसॉर्ट निर्माण की शर्तों में छूट, आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जांच के बिना स्वीकृतियां और विशेष रियायती आर्थिक पैकेज दिलवाकर लाभ पहुंचाया।
- सरकार ने पद के दुरुपयोग के आरोपों की जांच की मंजूरी दी
- अनंता रिसॉर्ट में खुद व परिजनों के नाम खरीदे विला

जयपुर। राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल के खिलाफ पद का कथित दुरुपयोग कर निजी कंपनी गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाने और स्वयं व परिजनों के नाम पर संपत्तियां खरीदने के मामले में विस्तृत जांच होगी। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत जांच एवं अनुसंधान के लिए पूर्वानुमोदन दे दिया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि 27 अक्टूबर को उद्योग विभाग से मिली तथ्यात्मक रिपोर्ट और गोपनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों के परीक्षण के बाद प्राथमिक जांच दर्ज की गई। इसमें प्रथम दृष्टया कई गंभीर तथ्य सामने आए हैं।

प्रारंभिक जांच के अनुसार शिखर अग्रवाल ने जिला कलेक्टर उदयपुर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए कथित तौर पर अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया। आरोप है कि उन्होंने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों से मिलीभगत कर कंपनी को रिसॉर्ट निर्माण की शर्तों में छूट, आवश्यक प्रमाण-पत्रों की जांच के बिना स्वीकृतियां और विशेष रियायती आर्थिक पैकेज दिलवाकर लाभ पहुंचाया।

जांच में उदयपुर के बुझड़ा स्थित अनंता रिसॉर्ट में अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर 10-10 विला खरीदने की जानकारी सामने आई है। प्रत्येक विला की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई है। वहीं अलवर जिले के अजबगढ़ स्थित अनंता रिसॉर्ट में आठ विला अग्रवाल और उनकी पत्नी के नाम पर, चार विला दोनों पुत्रों के नाम पर और चार विला सास-ससुर के नाम पर खरीदे जाने की जानकारी मिली है। इनकी कीमत 15 से 16.50 लाख रुपए प्रति विला बताई गई है। एसीबी के अनुसार संपत्तियां कथित तौर पर बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदी गईं।

एसीबी के अनुसार जांच में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया कि वित्त विभाग ने गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को 27 मार्च 2026 को विशेष रियायती आर्थिक पैकेज जारी किया था। इसी दिन शिखर अग्रवाल की ओर से 20 विला की रजिस्ट्री करवाए जाने की जानकारी सामने आई है।

एसीबी को आशंका है कि निजी कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के साथ राज्य सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। इसके अलावा अग्रवाल और उनके परिजनों के नाम कथित आय से अधिक संपत्तियां अर्जित करने के पहलू की भी जांच की जाएगी।

अब इस मामले में शिखर अग्रवाल, गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की विस्तृत जांच होगी।

डॉ. संजीव शर्मा नेफ्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष बने

जयपुर। सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय, जयपुर में नेफ्रोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष पद पर डॉ. संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। इस संबंध में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक डॉ. दीपक माहेश्वरी ने 29 अक्टूबर को कार्यालय आदेश जारी किए।

आदेश के अनुसार, पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. विनय मल्होत्रा द्वारा स्वास्थ्य संबंधी कारणों से विभागाध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने में अनिच्छा व्यक्त किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। डॉ. संजीव कुमार शर्मा को आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्ष अथवा अन्य महाविद्यालय में स्थानांतरण, त्यागपत्र या सेवानिवृत्ति (जो भी पहले हो) तक विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

ऑनर किलिंग के आरोपी पिता की फांसी की सजा रद्द

- बेटी और प्रेमी की हत्या के आरोपी पिता रामगोपाल को निचली कोर्ट से सुनाई फांसी की सजा का आदेश रद्द

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2019 में सीकर के चर्चित ऑनर किलिंग मामले में आरोप साबित नहीं होने और साक्ष्यों की कड़ी नहीं जुड़ने के चलते बेटी और प्रेमी की हत्या के आरोपी पिता रामगोपाल को निचली कोर्ट से सुनाई फांसी की सजा का 30 नवंबर 2024 का आदेश रद्द कर दिया। वहीं मामले में अन्य आरोपी परिजनों संदीप गुर्जर, नंदलाल, महेन्द्र कुमार चौधरी, मदनलाल चंडीवाल, बाबूलाल उर्फ हरनेक, बीरबल ढाका, सोहनलाल, महादेव एवं परसराम की भी उम्रकैद की सजा रद्द कर बरी कर दिया। जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश आरोपियों की अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य की ऐसी पूरी अखंड श्रृंखला स्थापित नहीं कर सका है जिससे कि आरोपियों को मामले में दोषी ठहराया जा सके। ऐसे में हाईकोर्ट आरोपियों के संबंध में निचली कोर्ट के निष्कर्ष से सहमत नहीं है। अभियोजन आरोपियों के खिलाफ अपराध को साबित करने में फेल रहा है। ऐसे में निचली कोर्ट के आरोपियों को सुनाई गई सजा के आदेश को रद्द करना उचित होगा। आरोपियों की ओर से सीनियर एडवोकेट वीआर बाजवा, अधिवक्ता राजेश गोस्वामी व रजनीश गुप्ता सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पैरवी की।

वैज्ञानिक ग्रंथ "वैदिक आख्यान विज्ञान" का विमोचन

हरिद्वार/जयपुर। सनातन परंपरा,संस्कृति और शास्त्रों की प्रामाणिकता के संरक्षण के लिए देशभर के संतों और विद्वानों ने एकजुट होकर बड़ा कदम उठाया है। पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में आयोजित अखिल भारतीय प्राच्य विद्या महासम्मेलन के दूसरे दिन जगद्गुरु शंकराचार्यों,अखिल भारतीय संत समिति,अखाड़ों,विभिन्न गुरु-परंपराओं के संतों,राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न सनातनी संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 'सनातन शास्त्र शुद्धि समिति' के गठन के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति बनी। सर्वसम्मति से सभी धर्माचार्यों द्वारा समिति के गठन का सुझाव दिया गया। इस पहल के तहत समिति के अंतर्गत एक विद्वत परिषद का गठन किया गया। परिषद में आचार्यों,शास्त्रों के जानकारों और विभिन्न विषयों के विद्वानों को शामिल किया जाएगा। सनातन शास्त्र शुद्धि समिति में सिख,जैन और बौद्ध परंपराओं का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। विद्वत परिषद सनातन परंपरा और शास्त्रों में समय-समय पर हुई कथित मिलावट, प्रक्षेपण एवं विकृतियों से जुड़े विषयों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट संत-संन्यासी परिषद को सौंपेगी। परिषद की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट का परीक्षण सनातन शास्त्र शुद्धि समिति का मार्गदर्शक मंडल करेगा।

एनएचपीसी NHPC एक नवरत्न कंपनी
एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)
पंजी. कार्या.: एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
CIN No.-L40101HR1975GOI032564
Great Place To Work Certified
एनएचपीसी के साथ रोमांचक चुनौतियों को अपनाने के लिए आगे आएं...
एनएचपीसी लिमिटेड को अनुबंध के आधार पर "सलाहकार (सेफ्टी)" के रूप में सेवानिवृत्त अधिकारी की सेवाओं की आवश्यकता है
विज्ञापन सं.:-एनएच/टीए/04/2026

एनएचपीसी लिमिटेड भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम है। यह जलविद्युत विकास के लिए भारत का प्रमुख संगठन है, जिसके पास जलविद्युत परियोजनाओं की 'परिकल्पना से लेकर उसे चालू करने' तक की सभी गतिविधियों को पूरा करने की क्षमताएं हैं। एनएचपीसी ने सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी अपना विस्तार किया है। यह कंपनी 01.09.2009 से NSE और BSE पर सूचीबद्ध है और इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 17,500 करोड़ रुपये है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 3,618 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। एनएचपीसी लिमिटेड की वर्तमान में 31 पावर स्टेशनों से 9582.90 मेगावाट की स्थापित क्षमता है।

एनएचपीसी को एक ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी की सेवाओं की सलाहकार (सेफ्टी) के रूप में आवश्यकता है, जो पावर सेक्टर/माइनिंग सेक्टर/इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स/सरकारी क्षेत्र/राज्य विभाग में सेफ्टी प्रबंधन में अनुभव के साथ वरिष्ठ प्रबंधन के स्तर पर अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हो और जिसका पद महाप्रबंधक के स्तर से कम न हो (न्यूनतम E-8 या समकक्ष/वेतन मैट्रिक्स स्तर 14 से कम न हो)।

पूर्ण विवरण के लिए, कृपया एनएचपीसी की वेबसाइट www.nhpcindia.com के 'Career' अनुभाग पर जाएँ।

आवेदन की हार्डकोपी प्राप्त होने की अंतिम तिथि 23 नवंबर 2026 (05:00 सायं)

वेबसाइटः http://www.nhpcindia.com/career.htm देखें।
आवेदन का केवल ऑनलाइन मोड स्वीकार्य है।
www.nhpcindia.com @nhpcltd @NHPCIndiaLimited nhpclimited @NHPCLimited1 NHPC Limited
CBC:34128/15/0005/2627

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम नीतू सिंह से बदल कर नीतू सिंह गुर्जर पत्नी श्री देवेंद्र कुमार चेची, रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावे। निवासी फ्लेट नं 201, गोविन्द रेजीडेन्सी, विधाधर नगर, मल्होत्रा नगर, अखैपुरा, जयपुर

I have changed my name from Abdul Ajij to Abdul Aziz S/o Abdul Jabbar.For all future purposes, Resident of: 9B, Madhav Das Colony, near the Gurudwara, Ramgarh Road, Jaipur.

I No 4210528N Nk Pawan kumar Yadav My Mother name is MANCHI DEVI has been wrongly recorded in the military records.while according to the Aadhaar card the correct name is NANCHI DEVI .Affidavit no is IN-AS73385294689454Y.

I have changed my name Jitendra Parnami to Jitender Parnami for all future and legal purpose. Address: 119/210, Agarwal Farm Mansarovar, Jaipur-302020

I have changed my anime from Vikash Chandak to Vikash Kumar Chandak for all purposes R/o G-1/302 Kamal Apartment-2 Opp. Jaipur Metals Banipark, Jaipur

सर्विसेज

''एवरकूल रेफ्रिजरेशन''- फ्रिज, वाशिंग मशीन, एयरकंडीशन, गीजर, माइक्रोवेव, टीवी, डीफ्रिज इत्यादि की सर्विसेज हेतु संपर्क करें- 9828559916, 22 गोदाम जयपुर

टीन मिस राजस्थान के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू

जयपुर। राजस्थान की किशोरियों को अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और व्यक्तित्व निखारने के साथ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से राज्य की पहली किशोरियों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 'टीन मिस राजस्थान' के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं। इसमें 13 से 19 वर्ष तक की किशोरियां भाग ले सकेंगी। प्रतियोगिता के लिए 15 नवंबर को जयपुर में ऑडिशन होंगे।

कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांकः4526 जाहिर आम-सूचना दिनांकः29.10.2026
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना में आवास/ फ्लैट संख्या 191/269 (LIG) का आवंटन श्री राजेश कुमार रावत पुत्र श्री हरि बाबू रावत को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 4538 दिनांक 30.11.2004 को जारी किया गया था। इनके पक्ष में पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन दिनांक 17.06.2013 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम में पंजीकृत करवाया गया। श्री राजेश कुमार रावत द्वारा श्री राकेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री गजानन्द गुप्ता को दिनांक 17.06.2013 को मुख्त्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री राकेश कुमार गुप्ता द्वारा मुख्त्यारआम की हैसियत से उक्त आवास का विक्रय पत्र श्रीमती प्रीतीश्वरी शर्मा पत्नी श्री प्रवेश कुमार शर्मा को विक्रय कर इनके पक्ष में विक्रय पत्र दिनांक 11.09.2014 को उप पंजीयक सांगानेर- प्रथम जयपुर में पंजीकृत करवाया गया। क्रेता/क्रेती श्रीमती प्रीतीश्वरी शर्मा पत्नी श्री प्रवेश कुमार शर्मा द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास पर अपना नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कराने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही है, श्रीमती प्रीतीश्वरी शर्मा पत्नी श्री प्रवेश कुमार शर्मा का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। भवदीय,
सम्पदा प्रबन्धक वृत-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री हेमन्त सिंह राजावत पुत्र चेतन सिंह राजावत, जाति राजपूत, निवासी 20बी, चंद्रनगर, गुर्जर घटी, आमेर रोड, जयपुर-302002 (राज.) एक अचल सम्पत्ति आवासीय फ्लेट नम्बर 102, फर्स्ट फ्लोर, आदर्श रेजीडेन्सी, प्लाट नम्बर 31, सिन्धी कॉलोनी, आदर्श नगर जयपुर (राज.) जिसका कुल निर्मित क्षेत्रफल 875.00 वर्गफिट है जोकि बिना हकछत परन्तु सम्पूर्ण भूमि में अविभाजित सामानुपातिक हिस्से एवं सुखाधिकारों तथा कॉमन सुविधाओं सहित स्थित है। जिसे सर्वप्रथम श्रीमती वर्षा खटवानी पत्नी श्री परमानन्द खटवानी एवं श्री परमानन्द खटवानी पुत्र स्व. श्री टीकम दास खटवानी ने जरिए विक्रय पत्र दिनांकित 24.06.2015 के माध्यम से श्रीमती कलावती पत्नी श्री हरीश कुमार एवं श्री हरीश कुमार पुत्र श्री कन्हैयालाल से खरीद किया था उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 24.06.2015 को कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम के यहां क्रम संख्या 201503015106568 पर पंजीबद्ध किया हुआ है तत्पश्चात् श्रीमती वर्षा खटवानी पत्नी श्री परमानन्द खटवानी का निर्वसियत दिनांक 08.04.2019 को स्वर्गवास हो गया। उनके हिन्दू उत्तराधिकार अधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान में श्री परमानन्द खटवानी (पति), श्रीमती शिप्रा खटवानी पत्नी श्री अनंत माधवानी पुत्री श्री परमानन्द खटवानी (पुत्री) एवं श्री राहुल खटवानी पुत्र श्री परमानन्द खटवानी (पुत्र) अर्थात उक्त तीन वारिसान हुए इनके अतिरिक्त अन्य कोई विधिक उत्तराधिकारी एवं वारिसान नहीं था जिसके कारण श्रीमती वर्षा खटवानी पत्नी श्री परमानन्द खटवानी की उक्त अचल सम्पत्ति सम्पत्ति में 1/2 अविभाजित हिस्से के उक्त तीनों मालिक स्वामी काबिज एवं अधिकारी हुए तत्पश्चात श्री परमानन्द खटवानी, श्रीमती शिप्रा खटवानी पत्नी श्री अनंत माधवानी पुत्री श्री परमानन्द खटवानी ने उक्त अचल सम्पत्ति में श्रीमती वर्षा खटवानी पत्नी श्री परमानन्द खटवानी के 1/2 अविभाजित हिस्से में से प्राप्त अपना अपना 1/3-1/3 अविभाजित हिस्सा श्री राहुल खटवानी पुत्र श्री परमानन्द खटवानी के पक्ष में हकत्याग करते हुए एक हकत्याग पत्र दिनांकित 01.05.2024 निष्पादित कर दिया उक्त हकत्याग पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम के यहां दिनांक 01.05.2024 को क्रम संख्या 202403015106908 पर पंजीबद्ध किया गया है जिसमें मानचित्र में त्रुटि होने के कारण संशोधन पत्र दिनांकित 23.07.2024 निष्पादित करते हुए श्री परमानन्द खटवानी, श्रीमती शिप्रा खटवानी पत्नी श्री अनंत माधवानी पुत्री श्री परमानन्द खटवानी ने उसे कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत कर पंजीबद्ध करवा दिया जिसका पंजीयन दिनांक 23.07.2024 को क्रम संख्या 202403015111046 पर किया गया। इस प्रकार उक्त अचल सम्पत्ति के 1/2 अविभाजित हिस्से के मालिक स्वामी काबिज एवं अधिकारी श्री राहुल खटवानी पुत्र श्री परमानन्द खटवानी हुए। तत्पश्चात उक्त अचल सम्पत्ति सम्पूर्ण को श्री परमानन्द खटवानी पुत्र स्व. श्री टीकम दास खटवानी एवं श्री राहुल खटवानी पुत्र श्री परमानन्द खटवानी ने विक्रय पत्र दिनांकित 12.08.2024 निष्पादित करते हुए श्री योगेश कुमार भारद्वाज पुत्र श्री जगदीश प्रसाद के हित में विक्रय कर दिया तथा उक्त विक्रय का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम के यहां दिनांक 13.08.2024 को क्रम संख्या 202403015112103 पर पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार उक्त अचल सम्पत्ति सम्पूर्ण के एकमात्र मालिक स्वामी, काबिज एवं अधिकारी श्री योगेश कुमार भारद्वाज पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी प्लाट नम्बर 13, विजय नगर, बिजयपुरा रोड, पुरानी चुंगी आगरा रोड, आमडोली जयपुर (राज.) है जिन्हें अपनी निजी एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपयों की आवश्यकता है इसलिए वह उक्त अचल सम्पत्ति सम्पूर्ण को विक्रय करना चाहते हैं एवं उनसे मेरे मुवक्किल श्री हेमन्त सिंह राजावत पुत्र चेतन सिंह राजावत उक्त अचल सम्पत्ति खरीद करना चाहते हैं। उक्त सम्पत्ति को खरीद करने हेतु मेरे मुवक्किल एच. डी. एफ. सी. बैंक लिमिटेड से ऋण प्राप्त कर उक्त सम्पत्ति को बंधक रखना चाहते हैं। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति अथवा बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति या आक्षेप हो तो मय सबूत सात दिन की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखित आपत्ति प्रस्तुत करें, अवधि समाप्ति के पश्चात् आपत्ति मान्य नहीं होगी तथा मेरे मुवक्किल के विरुद्ध शून्य व बेअसर मानी जावेगी।
दिनांक (श्याम सुन्दर चावला) एडवोकेट
6/48, मालवीय नगर, जयपुर-302017 मोबाईल 9829218044

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिये सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
नाम न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम जयपुर महानगर द्वितीय
हेमेंद्र पारीक बनाम उपायुक्त नगर निगम व अन्य
प्रकरण संख्या 72/26
वाद सं.... सन्....
नाम त्रिलोक सोनीर पुत्र शंकर लाल सोनी जाति....
स्थान निवासी रामगढ रोड जयपुर
.... ने आपके विरुद्ध.... के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 17 माह 11 सन् 26 को दिन में.... बजे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिये वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिए गये हो और जो इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित सभी वारदान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आपस उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे, जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप मे निर्भर करते है तो आप ऐसे दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ठ करें।
आपको सूचित किया जाता है यदि आप उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नही होगे तो प्रार्थना पत्र की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।
यह प्रार्थना पत्र दिनांक 17 माह 10 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
मोहर अदालत
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट पश्चिम जयपुर महानगर द्वितीय

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसनरी स्टोन (माइनर मिनरल) खनन परियोजना, एम.एल. नम्बर 161/2002, खसरा नंबर-241, लीज क्षेत्रफल-1.0 हेक्टेयर, कुल उत्पादन क्षमता 64,681 TPA (ROM)] निकट ग्राम-लखनपुर, तहसील-रूपवास, जिला-भरतपुर (राजस्थान) द्वारा मैसर्स श्री राम स्टोन क्रशर को पर्यावरणीय स्वीकृति SEIAA राजस्थान द्वारा EC पहचान सं. EC24CO108RJ5875622N दिनांक 05.10.2024 जारी कर दी गई है। उक्त स्वीकृति की प्रतिलिपि MOEF&CC के वेब पोर्टल https://parivesh.nic.in/ पर जन साधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
भवदीय
श्री दिव्यांशु गर्ग

आम सूचना जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्र.- जविप्रा/ उपा./ पीआरएन/2026/ डी-1950, दि.- 29-10-26
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बलरामपुरा उर्फ खेजेडों का बास, तहसील सांगानेर, जयपुर खसरा नम्बर 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 147, 150 एवं 15 के आंशिक / सम्पूर्ण भाग पर सृजित अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना गिर्राज नगर का नियमन शिविर पूर्व में किया जा चुका है। उक्त योजना के समीप ग्राम कल्याणपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर के खसरा नम्बर 3, 4 एवं 7 पर अम्बेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना गिर्राज नगर भूखण्ड संख्या 315 से 353 सृजित थे, जिसका रिकार्ड सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण नियमन नहीं किया गया है। उक्त भूखण्डों का नियमन की कार्यवाही करने हेतु सहकारी समिति द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त खसरा नम्बरान् वर्तमान में जविप्रा जयपुर के नाम दर्ज है। अतः नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 30.09.2014 20.10.2014 एवं 29.01.2020 के अनुसार खसरा नम्बर 3, 4 एवं 7 पर सृजित भूखण्ड संख्या 315 से 353 का नियमन किया जा रहा है। अतः नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश दिनांक 30.09.2014 20.10.2014 एवं 29.01.2020 के अनुसार खसरा नम्बर 3, 4 एवं 7 पर सृजित भूखण्ड संख्या 315 से 353 का नियमन में यदि किसी खातेदार/ व्यक्ति/संस्था/ फर्म इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के अखबार में प्रकाशन होने की दिनांक से 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें।
उपायुक्त,पीआरएन, जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

नम्बर मिलाइए 8890333139

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

एसआईआर कोई नई परंपरा नहीं, कांग्रेस शासन में 10 बार हुआ : मदन राठौड़

- कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता से लोकतंत्र को खतरा : मदन राठौड

जयपुर । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कहा है कि एसआईआर ना भारत में पहली बार हो रहा है ना दुनिया से अनजाना है। उन्होंने कहा कि 10 बार एसआईआर कांग्रेस की सरकारों में हुआ है तब एसआईआर लोकतंत्र के लिए ठीक था और अब 23 साल बाद में हो रहा है, तो कांग्रेस को लोकतंत्र खतरे में लगता है जबकि लोकतंत्र पर खतरा कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता और विदेशी टूल किट के रूप में की जा रही राजनीति से है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता झूठ फैलाकर देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं जो न देश की जनता के हित में है और नहीं लोकतंत्र के हित में है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इंदिरा गांधी को लोकतंत्र से जोड़कर जो बातें कही है उससे लगता है कि अशोक गहलोत जी एक नए झूठ के साथ और आलाकमान को खुश करने के लिए अराजकता प्रिय राहुल गांधी के निर्देशों पर यहां बयान बाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस भारत बचाओ रैली की वह बात कर रहे हैं उससे पहले इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोपा था अखबारों पर ताले थे जनता के अधिकार निलंबित थे, नेता सड़क पर नहीं हवालात में थे।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र के लिए जिनका आदर्श इंदिरा गांधी हो उनसे देश के लोकतंत्र को खतरा ही हो सकता है और इसे ही लेकर जनता को जागरूक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ अभियान चलाया है।

प्रेमी के कहने पर नौकरानी ने घर से उड़ाए लाखों के जेवर

जयपुर। एसएमएस अस्पताल थाना पुलिस ने घर में काम करने वाली नौकरानी की ओर से लाखों रुपए के जेवर और नकदी चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी युवती को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 13 लाख रुपए कीमत के हीरे और सोने के आभूषण बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि युवती ने अपने प्रेमी के कहने पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अब मामले में शामिल उसके प्रेमी की तलाश कर रही है।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) रंजीता शर्मा ने बताया कि परिवादी किशन निवासी मकान नंबर41, गंगवाल पार्क, जयपुरने 24 अगस्त 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर पर काम करने वाली नौकरानी ने 12 मई से 4 अगस्त 2026 के बीच घर से करीब डेढ़ लाख रुपए नकद और कीमती सामान चोरी कर लिया। चोरी हुए सामान में दो हीरे की चूड़ियां, छह सोने की चूड़ियां, श्रीनाथजी का सोने का पेंडेंट, 10 से 12 सोने की अंगूठियां, चांदी का सामान और एक सोने की घड़ी शामिल थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

साइबर ठगी की रकम को क्रिप्टो और हवाला से खपाने वाला गिरफ्तार

- दुबई के हवाला नेटवर्क से जुड़ाव, जयपुर में सिंडिकेट मजबूत करने आया था आरोपी
- 9 मोबाइल, 8 डेबिट कार्ड और क्यूआर स्कैनर रोल बरामद

जयपुर। वैशाली नगर थाना पुलिस ने साइबर ठगी और ऑनलाइन जुए से प्राप्त रकम को हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए ठिकाने लगाकर सफेद धन में बदलने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश कर मुख्य सरगना विकास ढाका को गिरफ्तार किया है। आरोपी सीकर जिले के बासनी का रहने वाला है और करीब 20 दिन पहले अपने नेटवर्क का विस्तार करने जयपुर आया था। पुलिस के अनुसार उसका दुबई के हवाला नेटवर्क से गठजोड़ है। आरोपी के कब्जे से 9 मोबाइल, 8 डेबिट कार्ड और गूगल पे स्कैनर रोल बरामद किए गए हैं।

प्रोबेशनर आईपीएस अदिति उपाध्याय ने बताया कि वैशाली नगर की नेमीसागर कॉलोनी स्थित चड्ढा अपार्टमेंट के एक फ्लैट में साइबर ठगी और ऑनलाइन जुए की रकम को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हासिल कर नकदी में बदलने की सूचना मिली थी। इस पर वैशाली नगर थानाधिकारी अरविंद सिंह और डीएसटी पश्चिम प्रभारी गणेश सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर फ्लैट पर दबिश दी गई। यहां से विकास ढाका को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।

जांच में सामने आया कि आरोपी ने राजस्थान के अलग-अलग जिलों में अपना नेटवर्क फैला रखा था। जयपुर आने का उसका मकसद यहां सिंडिकेट को मजबूत करना, नए म्यूल बैंक खाते हासिल करना और मर्चेंट नेटवर्क का विस्तार करना था।

पुलिस के अनुसार आरोपी जैसलमेर और सीकर के रिसॉर्ट व रेस्टोरेंट में काम करने वाले कम पढ़े-लिखे मजदूरों को रुपए का लालच देकर उनके दस्तावेज हासिल करता था। इन दस्तावेजों के आधार पर निजी बैंकों और ऑनलाइन भुगतान बैंकों में खाते खुलवाए जाते थे। इसके बाद उन खातों से जुड़े मर्चेंट क्यूआर कोड तैयार करवाकर साइबर ठगों और ऑनलाइन जुआ संचालित करने वाले गिरोहों को मोटे कमीशन पर उपलब्ध कराए जाते थे। इन खातों में साइबर ठगी और ऑनलाइन सट्टेबाजी की रकम जमा करवाई जाती थी।

जांच में यह भी सामने आया कि बैंक खातों में जमा रकम को नकद और ऑनलाइन माध्यम से निकालकर यूएसडीटी और टेथर जैसी क्रिप्टो करेंसी में बदला जाता था। इसके बाद दुबई से संचालित हवाला और क्रिप्टो नेटवर्क के जरिए रकम को ठिकाने लगाकर भारतीय बाजार में खपाने का आरोप है।पुलिस के अनुसार आरोपी के खुद के तीन बैंक खातों और उसके जरिए खुलवाए गए अन्य बैंक खातों में करीब 24 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी का लेन-देन सामने आया है। जिन लोगों के नाम से खाते खुलवाए गए।

राजस्थान सरकार
राजीविका
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्
राजीविका
दिवाली मेला 2026
प्रवेश निःशुल्क
रोशनी त्योहार की, पहचान हुनर की
100 स्वयं सहायता समूह शामिल
मेले के प्रमुख आकर्षण
हथकरघा: कोटा डोरिया, मोडल सिल्क, अजरख प्रिंट एवं कशीदाकारी
हस्तशिल्प: मीनाकारी, टेराकोटा, लेदर उत्पाद एवं सजावट सामग्री
प्राकृतिक खाद्य उत्पाद: पारंपरिक अचार, पापड़ एवं अन्य उत्पाद
राजस्थानी व्यंजन: राजस्थानी थाली, दाल-बाटी-चूरमा एवं केर-सांगरी
मेला अवधि: 28 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2026
प्रातः 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक
इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान (IGPRS) परिसर, जेएलएन मार्ग, जयपुर
स्वदेशी अपनाएँ, स्थानीय हुनर को बढ़ाएँ
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् | ग्रामीण विकास विभाग | राजस्थान सरकार
राजस्थान संवाद

उत्तर पश्चिम रेलवे **आवश्यक सूचना**
सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है, कि समपार फाटक संख्या-233 (कनकपुरा-धानक्या के मध्य) जो कि जयपुर फुलेरा सैक्शन के मध्य स्थित है को दिनांक 31.10.2026, सुबह 08.00 बजे से 01.11.26 शाम 18.00 बजे तक पूर्णरूप से बन्द रहेगा। असुविधा के लिए खेद है। सड़क यातायात समपार फाटक संख्या 232 व 234 से निकाला जायेगा।
हमें /NWRailways पर फॉलो करें 1574-AM/26